

प्रश्न सं. [क. 1199]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन इकाई / Project Implementation Unit

15, सम्पत हिल्स, सहारा सिटी के सामने, इन्दौर बायपास, बिचौली मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.) 452016
15, Sampat Hills, Opp. Sahara City, Indore Bypass, Bicholi Mardana, Indore (M.P.) 452 016
दूरभाष/Phone : 0731-4975994 e-mail : Indore@nhai.org, Indorenhai@gmail.com

भा.रा.सा.प्रा./परि.का.इ./इन्दौर/पी.क्यू./2019/2161

दिनांक 11.07.2019

प्रति,

मुख्य अभियन्ता (रा.सा.परि.),
कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग "निर्माण भवन",
प्लॉट नं. 27-28, अरेरा हिल्स,
भोपाल (म.प्र.)

विषय : तारांकित प्रश्न - 1199 - ओरिएण्टल कन्स्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जी.एस.टी. की राशि में अनियमितता बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इन्दौर से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 03 देवास ब्यावरा मार्ग के उन्नयनीकरण का कार्य ओरिएण्टल कन्स्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 1600 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 03 ब्यावरा देवास मार्ग के उन्नयनीकरण का कार्य NHAI द्वारा M/s Oriental Structural Engineers Pvt. Ltd. को Total Project Cost -1583.79 Crore एवं Grant-252.89 Crore की लागत पर अर्बाई किया जाकर अनुबंध M/s. Bisora to Dewas Highway Private Limited को सौंप किया गया है।
(ख)	प्रश्नों (क) अनुसार क्या वाणिज्यिक अधिकारी राजगढ़, धाजापुर एवं देवास द्वारा करोड़ों के कार्य का सब कन्टेक्टर, लेबर कन्टेक्टर, सप्लायरों को टुकड़ों में कार्य दिया जा रहा है ? क्या इनसे जी.एस.टी. काटी गई है ? यदि हाँ तो कितनी कितनी राशि अवगत करावे ?	सब कन्टेक्टर, लेबर कन्टेक्टर, सप्लायरों को Concessionaire द्वारा किये गये भुगतान में GST Guidelines के अनुपालन की जिम्मेदारी Concessionaire एवं GST विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग के मध्य है।
(ग)	प्रश्नों (क) अनुसार क्या कंपनी द्वारा प्रश्न दिनांक तक जी.एस.टी. सम्बंधित वाणिज्यिक विभाग को जानकारी दी गई है अथवा नहीं ?	अतः इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग से सूचना दिया जाना उचित होगा।
(घ)	क्या यह सही है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा करोड़ों की जी.एस.टी. राजस्व की होने वाली आय के सम्बंध में ओरिएण्टल कंपनी के देहरीबागन कैम्प, सुनहरा कैम्प, देवास मकसी के बीच स्थिति कैम्पों के दस्तावेज की जी.एस.टी. संबंधी जाँच की गई है ? यदि हाँ तो किस दिनांक को की गई ?	

भवदीय,

परियोजना निदेशक

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इन्दौर

प्रतिलिपि:-

- क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.सा.प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्यालय : जी-5 व 6, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075
Head Office : G-5 & 6, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110 075

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

Scanned by CamScanner